न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील प्र.सं. 04 / 2024 जीसीएमएस नं. : 2024 / 34 सन्ती बनाम सुरजी आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम
30/07/2024	**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना,** आई.ए.एस.	

उपस्थिति :–

1. श्री हरीचन्द अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 27.03.1987 जिसके द्वारा अपीलधीन भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेंट सुरजी आदि के नाम से दर्ज स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। अपील क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की गयी। अपील पूर्ववर्ती न्यायालय में दिनांक 10.04.2013 को मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दायर की गयी थी। न्यायालय की राय में सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर निर्णय किया जाना आवश्यक होने के कारण अधिवक्ता अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। वकील अपीलार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया को अपीलधीन नामान्तरण की सर्वप्रथम जानकारी माह सितम्बर 2012 में हुई तथा इस हेतु उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष अपने खातेदारी अधिकिारी की घोषि का वाद संस्थित कर दिया। परन्तु नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 08.04.2013 को प्राप्त हुई जिसके उपरान्त बिना किसी विलम्ब के यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गयी हैं। अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य हैं। इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य हैं तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया।

अपील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश दिनांक 27.03.1987 का तथा अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 10.04.2013 को पेश की गयी हैं। अपील लगभग 26 वर्ष की अवधि उपरान्त पेश की गयी हैं। अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया हैं कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी माह सितम्बर 2012 में हो गयी थी यदि अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार कर भी लिया जावे तो भी उनके द्वारा अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश नहीं की गयी हैं। अपीलार्थीया के द्वारा अपनी अपील में नामान्तरण वसीयत के आधार पर किया जाना अंकित किया गया हैं जबकि अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि नामान्तरण विरास्तन आधार पर दर्ज किया गया हैं। यह तथ्य भी स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं कि अपीलार्थीया के द्वारा मल्लूराम की मृत्यु वर्ष 1977 में हो जाने के पश्चात वर्ष 2012 तक भूमि के विरास्तन नामान्तरण हेतु आवेदन नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील प्र.सं. 54 / 2023 जीसीएमएस नं. : 2023 / 306 ब्रहमदास बनाम रणीया आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम
	नहीं किया गया हैं जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता हैं तथा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अवधेश मीना) जिला कलक्टर I.A.S. अनूपगढ़ कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)	